

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 118

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण :
9. चुरायी गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें):
10. *चुरायी गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total value of properties stolen/involved/recovered) :
11. *अस्वाभाविक मृत्यु काण्ड सं०, यदि हो तो (U.D. Case No., if any) :
12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो) :

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 118

दाता का लिखित आवेदन औरत काण्ड का मूल आधार है कि
मूल प्रति मूल के साथ अन्य के साथ दस्ता प्रती सभ्यते हैं।

10/01/2026
धाना प्रभारी
निमित्त धारा 2 भाग
— डिप्टी डी

13. को गयी कारवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध क्रिया काण्ड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया* अ. नि. सी. ए. डी. काण्ड पदनाम पु० ३०३१०
का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/अधिकारिता के प्रश्न पर
धाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही र
गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action tal
report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2, registered the
investigation/directed*.....Rank.....to take up d
14. परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।
15. धाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

10/01/2026
धाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) सुमान कुमार
पु० ३०३१०३६ धाना
पदनाम (Designation) निमित्त धारा 2 भाग
डिप्टी डी

SPL -

